27

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 50 / 2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2023 / 60

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	श्री दीपक पाटीदार पुत्र श्री हीमेंग निवासी 202 पाटीदार बस्ती, घलकीया, बांसवाडा मैसर्स – माँ त्रिपुरा दुग्ध डेयरी, त्रिपती नगर, उदयपुर रोड, बांसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 09–10–2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **11–09–2023** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **09–03–2023** को 11.30 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स – माँ त्रिपुरा दुग्ध डेयरी, त्रिपती नगर, उदयपुर रोड, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री दीपक पाटीदार पुत्र श्री हीमेंग** उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स माँ त्रिपुरा दुग्ध डेयरी, त्रिपती नगर, उदयपुर रोड, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में **दुध मिक्स (लूज) एल्युमिनियम की केनो में 120 किलो (प्रत्येक केन में 30 किलो डीप फ्रिज में)** रखा पाया। इसमें गुणवत्ता की कमी / मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **दुध मिक्स (लूज) 2 किलो मिलाकर एक मेल कर / तुलवाकर / नपवाकर** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 100/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **दुध मिक्स (लूज) 2 किलो को 4 साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक की बोतलो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर एवं प्रत्येक प्लास्टिक की बोतल में प्रीजरवेटीव फार्मलिन की 40–40 बुन्दे डालकर, चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1324** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela

प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2023 / 208 दिनांक 29–03–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 255 दिनांक 17–03–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **दुध मिक्स (लूज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1324** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **दुध मिक्स (लूज)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 12–09–2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 09–10–2023 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2023 / 208 दिनांक 29–03–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 255 दिनांक 17–03–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **दुध मिक्स (लूज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1324** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai
Date: 2024.01.08 17:09:53 IST
Reason: SelfAttested

न्याय... अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया **दुध मिक्स (लूज)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री दीपक पाटीदार पुत्र श्री हीमेंग निवासी 202 पाटीदार बस्ती, घलकीया, बांसवाडा मैसर्स – माँ त्रिपुरा दुग्ध डेयरी, त्रिपती नगर, उदयपुर रोड, बांसवाडा को रूपये 40000/– (अक्षरे रू चालीस हजार मात्र)** से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 09–10–2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) बांसवाड़ा (राज.)

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.01.08 17:09:53 IST
Reason: SelfAttested